



2026:AHC:124724

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 17905 / 2026

साहिल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : धरम वीर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता

विपक्षी के अधिवक्ता : अभिषेक कुमार जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री धरम वीर सिंह की ओर से बहस कर रहे अधिवक्ता श्री फैज़ अहमद, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष जायसवाल तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.एस. चौहान को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के दौरान, मुकदमा अपराध संख्या 65 / 2026, अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 103(1), 109(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता, थाना- गांधी पार्क, जिला- अलीगढ़ में आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि आवेदक एफआईआर में नामजद नहीं था, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि तीन नामजद व्यक्तियों और एक अज्ञात व्यक्ति ने मृतक के साथ-साथ घायल पृथ्वी चौहान पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और बाद में मृतक ने आग्नेयास्त्र की चोटों के कारण दम तोड़ दिया। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि मृतक अंशु तोमर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उसे आग्नेयास्त्र की एक चोट आई थी जो घातक पाई गई, और घायल गवाह पृथ्वी चौहान ने विशेष रूप से गोली चलाने की भूमिका सह-अभियुक्त धीरज सिंह को निर्दिष्ट की है, जबकि वर्तमान आवेदक को धीरज को एक तमंचा उपलब्ध कराने के आरोप के अलावा कोई भूमिका निर्दिष्ट नहीं की गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त धीरज सिंह की निशानदेही पर एक आग्नेयास्त्र भी बरामद किया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है, यद्यपि उसके विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त रवि को इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 16498 / 2026 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने अपने चार मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट कर दिया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए आवेदक की हिरासत में रखकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 03.03.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु वे उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को संज्ञान में लेते हुए, साथ ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो **2025** एससीसी ऑनलाइन एससी **3038** के मामले में दिए गए निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- साहिल को संबंधित न्यायालय की सतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख न हो और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।

ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए निष्ठापूर्वक विचारण/अन्वेषण में सहयोग करेगा।

iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।

iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित प्रति के आधार पर इस वचनपत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

10. यह निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बोओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, इन रि: सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रि.) संख्या **4 / 2021** निर्णय दिनांक 31.01.2023 रिपोर्टेड (**2024**) **10** एससीसी **685** के साथ-साथ पिला पाहन उर्फ पीला पाहन व अन्य बनाम झारखंड राज्य व

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अन्य (आपराधिक) रिट याचिका संख्या **169 / 2025**, निर्णय दिनांक 29.05.2026 के मामले में दिए गए आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा तथा विचारण न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक मोड से इस आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाए।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, जे.)

2 जून, 2026

सीएस/-

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"